समाहरणालय, सहरसा

(आपदा प्रबंधन शाखा)

अल्पकालीन निविदा सूचना

विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–3936/आ०प्र० दिनांक–03.11.2014 एवं पत्रांक–4477/आ०प्र० दिनांक–16.12.2014 से प्राप्त निदेश के आलोक में वित्तीय वर्ष–2014–15 के अन्तर्गत बाढ़ आपदा के दौरान आपदा से विस्थापितों हेतु चलाये जाने वाले राहत शिविरों में आवासित व्यक्तियों के लिए भोजन बनाने एवं परोसने हेतु बर्त्तनों का क्रय किया जाना है। आपूर्तिकत्ताओं से बर्त्तनों के आपूर्ति करने हेतु एक सीलबन्द लिफाफे के अन्दर तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफे में आमंत्रित की जाती है।

निविदादाताओं को जिलाधिकारी, सहरसा के पदनाम से मो०–5000.00 (पाँच हजार) रूपये की जमानत राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में या नगद राशि जिला नजारत शाखा, सहरसा में जमा करनी होगी। अल्पकालीन निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि– 19.3.15 को अपराह्न 1.00 बजे तक होगी। प्राप्त निविदाएँ उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें स्वयं निविदादाता या उसके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। आवश्यक बर्त्तनों की विवरणी निम्न प्रकार हैः–

क्रमांक	सामग्री का नाम	मात्रा
1	2	03
1	पतीला एल्युमीनियम 30″	02
2	पतीला एल्युमीनियम 25″	01
3	पतीला एल्युमीनियम 20″	02
4	पतीला एल्युमीनियम 18″	01
5	परात एल्युमीनियम 29″	01
6	परात एल्युमीनियम 26″	01
7	कड़ाही लोहे की 29″	02
8	पलटा लोहा बड़े साईज का	02
9	झरना लोहा बड़े साईज का	01
10	झरना लोहा छोटे साईज का	01
11	करछी स्टील/लोहा बड़े साईज का	02
12	करछी स्टील/लोहा मझले साईज का	06
13	प्रेशर कुकर 22 लीटर का	01
14	आटा चलनी बड़े साईज का	02
15	थाली	100
16	कटोरा	100
17	चकला बेलन बड़े साईज का (पिढ़ा टाईप)	02
18	गैस भट्ठी	02
19	चपाती भट्ठी तावा के साथ	01

20	डल्लू स्टील 250 ग्राम	02
21	चिमटा स्टील	02
22	हमाम दस्ता	01
23	लोहा का बाल्टी 16"	05
24	चाकू बड़ा	04
25	चाकू छोटा	04
26	ग्लास	100
27	जग स्टील	05
28	स्टील कन्टेनर (क्षमता 25 किलो से 100 किलोग्राम)	10
29	कठौता	05
30	एल्युमीनियम ट्रे	05

निविदा की शर्तेः–

निविदा डालने हेतु निम्नांकित शर्तों का अनुपालन आवश्यक हैः–

01. निविदा निर्धारण के समय निविदादाता या उसके प्रतिनिधि क्रय समिति के समक्ष गुणवत्ता के अनुरूप सामग्रियों के नमूने के साथ उपस्थित रहेंगे।
02. निविदा के साथ अपने दूकान की वाणिज्यकर/वैट कर का निबंधन प्रमाण–पत्र एवं फर्म द्वारा आयकर विभाग को आयकर चुकता करने का अद्यतन प्रमाण–पत्र देना अनिवार्य होगा।
03. निविदादाताओं में से स्वीकृत निविदादाता को एकरारनामा करना होगा कि आपूर्ति आदेश के 30 दिनों के अन्दर स्वीकृत नमूना के अनुरुप उचित संख्या, साईज गुणवत्ता, मात्रा के अनुसार सामनों की आपूर्ति निश्चित रूप से कर देंगे।
04. सामानों की आपूर्ति आवश्यकतानुसार दिये गये आदेश के आलोक में निर्धारित स्थल पर करना होगा जिसका परिवहन व्यय अलग से देय नहीं होगा।
05. बिना कारण बताये निविदा रद्द करने अथवा स्थगित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
06. आपूर्ति की गई सामग्रियों के विरूद्ध भुगतान हेतु समर्पित विपत्र के नियमानुसार बी०एस०टी०/टी०ओ०टी० देय होगा, जिसकी कटौती एक मुश्त भुगतान के समय की जायेगी।
07. सामग्रियों की आपूर्ति हेतु किसी प्रकार की अग्रिम देय नहीं होगा।
08. स्वीकृत निविदादाताओं को छोड़ शेष की जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।
09. निविदाकर्त्ता को सुरक्षित राशि के रूप में मो०–5000.00 (पाँच हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जिलाधिकारी, सहरसा के नाम से निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। 5000.00 (पाँच हजार) रूपये नगद भी स्वीकार किया जायेगा, जिसका नाजीर रसीद देय होगा।
10. आपूर्ति किये जाने वाले सभी सामग्रियों पर **"जिला आपदा प्रबंधन शाखा, सहरसा"** अंकित करना होगा।
11. स्वीकृत निविदादाताओं के द्वारा ससमय सामग्री नहीं आपूर्ति किये जाने की स्थिति में आवश्यकता के मद्देनजर अन्य निविदादाताओं से स्थानीय बाजार के अनुसार अनुमोदित दर पर आपूर्ति ली जा सकती है।
12. विस्तृत जानकारी जिला पदाधिकारी, सहरसा के बेबसाईट http:// saharsa.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

13.3.15

जिलाधिकारी,
सहरसा।

D:\AAPDA 2015\ARVIND_JEE\CD_BARTAN.DOC